सम्पूर्ण ई पेपर पढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करें

मंथन

प्रीतम दत्ता
फेलो, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी, नई दिल्ली

सेहत बचाने को बढ़े टैक्स दर

तंबाकू उत्पादों के स्वास्थ्य दुष्प्रभाव और उनसे लोगों को बचाने के उद्देश्य से इन पर अधिक टैक्स लगाने के बारे में जीएसटी परिषद की बैठक में विचार किया जाना चाहिए

शनिवार से होने जा रही जीएसटी परिषद की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक पर लोगों की नजर इसलिए भी है, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार इसमें एक नए तरह के टैक्स पर विचार किया जा सकता है। यह 'सिन टैक्स' या बुरी चीजों पर लगने वाला टैक्स तंबाकू उत्पादों और शीतल पेय पर लगाए जाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव बहुत ठोस रूप ले चुका है। इससे पहले जीएसटी परिषद ने कारों को और ज्यादा तार्किक बनाने के लिए छह राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक समूह बनाया था। मंत्रियों के इस समूह (जीओएम) को जिम्मा दिया गया था कि वह लोगों के हित में नए उपाय सुझाए। इसने जो सुझाव दिए हैं, उसमें कहा गया है कि पढ़ाई में काम आने वाली नोटबुक, आम लोगों की पहुंच वाले सस्ते रेडीमेड कपड़े और जरूरत में शामिल हो चुके बोलतबंद पीने के पानी आदि पर जीएसटी घटाया जाए। सभी जानते हैं कि विकास की राह पर खड़े भारत को बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता है। इसलिए, राजस्व संतुलन बनाए रखने के लिए इसने ऐसे उत्पादों पर कर बढ़ाने की सिफारिश की है जो लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं।

अगर हम तंबाकू उत्पादों के बारे में बात करें तो इसका उपयोग अनेक जानलेवा बीमारियों और असमय मृत्यु के दुनिया के सबसे बड़े कारणों में से है। भारत जैसे विकासशील देशों पर इसका दुष्प्रभाव ज्यादा गंभीर रूप से पड़ता है। तंबाकू से होने वाली मौतों में से लगभग 80 प्रतिशत निम्न और मध्य आय वाले देशों में होती हैं। उधर, भारत सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, जिसके तहत वर्ष 2030 तक सबको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना है और इसके तहत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाइ) जैसी योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ तंबाकू का व्यापक उपयोग कैंसर और हृदय रोग जैसी खतरनाक बीमारियों के खतरे को काफी बढ़ा देता है जिससे आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को चलाने में सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है।

यह सभी मानते हैं कि तंबाकू का उपयोग वैश्विक लोक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर दूर किए जा सकने वाले सबसे बड़े खतरों में से है जो जीवन हानि और भारी सामाजिक एवं आर्थिक बोझ का कारण बनाता है। इसी को देखते हुए दुनिया एकजुट हो कर इसका समाधान तलाशने की पहल कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का फ्रेमवर्क कन्वेंशन आन टोबैको कंट्रोल (एफसीटीसी) इस वैश्विक पहल को दिशा दिखाता है। इस वैश्विक संधि का प्रमुख घटक है तंबाकू पर प्रमुखता से टैक्स लगाना। टैक्स को तंबाकू की खपत कम करने और इसके हानिकारक प्रभावों को घटाने के सबसे प्रभावी उपायों में से एक माना गया है।

भारत में अपेक्षाकृत कम टैक्स : विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुशंसा करता है कि तंबाकू के खुदरा मूल्य का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा कर के रूप में होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ के अनुमान के अनुसार, निम्न आय वाले देशों में सिगरेट के एक सामान्य पैक के खुदरा मूल्य का लगभग 56.5 प्रतिशत हिस्सा ही टैक्स होता है। भारत में यह आंकड़ा इसी के आसपास यानी 57.6 प्रतिशत है। 85 मिमी लंबाई वाली फिल्टर सिगरेट के 20 सिगरेट वाले पैक (एमआरपी 340) में टैक्स केवल 59 प्रतिशत है। इसी तरह 65 मिमी से 70 मिमी लंबाई वाली फिल्टर सिगरेट के 20 सिगरेट वाले पैक (एमआरपी 100) पर टैक्स केवल 51 प्रतिशत है। मशीन से बनी बीड़ी के मामले में तो एमआरपी का केवल 22 प्रतिशत हिस्सा ही कर है। यह साफ है कि भारत अभी भी तंबाकू उत्पादों पर डब्ल्यूएचओ की बताई टैक्स दर से काफी पीछे है।

इस संबंध में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले टैक्स में 'कंपेंसेशन सेस' यानी मुआवजा अधिभार का हिस्सा काफी है। यह उप कर मूल रूप से 2017 में पांच साल के लिए लगाया गया था और 2022 तक खत्म हो जाना था। लेकिन पहले कोविड की वजह से और अब हाल में एक और निर्णय के तहत इसे बढ़ा कर मार्च 2026 तक कर दिया गया है। ऐसे में 'कंपेंसेशन सेस' हटने पर तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बहुत घट जाएंगे। भारत में तंबाकू के बहुत तरह के उत्पाद उपयोग किए जाते हैं, जिनमें बीड़ी-सिगरेट जैसे धूमपान वाले उत्पाद के साथ ही चबाने वाले उत्पाद भी शामिल हैं। परंतु डब्ल्यूएचओ की ओर से सुझाए गए दरों से सिगरेट पर लगाया जाने वाला टैक्स भी बहुत नीचे है, दूसरे उत्पादों की तो बात ही क्या की जाए। वैसे, भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) में भी सरकार को यह कहा गया है कि वह तंबाकू, शराब और दूसरे हानिकारक खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाते हुए स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इनके दुष्प्रभावों पर विचार करे। इसी तरह, स्वास्थ्य पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारत में तंबाकू उत्पादों पर टैक्स दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। संसदीय समिति ने साफ माना है कि तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाना बहुत जरूरी है और सरकार को इस संबंध में कदम उठाने को भी कहा है।

जीएसटी परिषद को इन गंभीर पहलुओं पर ध्यान दे कर तंबाकू उत्पादों और शीतल पेय पर टैक्स स्लैब 40 प्रतिशत से अधिक करके इन्हें लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर करना चाहिए। इससे इन नुकसानदेह उत्पादों का उपयोग घटेगा और उससे जुड़े इलाज का खर्च भी कम होगा। इससे डब्ल्यूएचओ को सुझाई कर दरों को हम पा सकेंगे, साथ ही भविष्य में कंपेंसेशन सेस को समाप्त किया जाता है तो अचानक से कोई बड़ा झटका भी नहीं लगेगा।